न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2023 G.C.M.S. No. 2023/92 दर्ज दिनांक : 28.03.2023

अपीलार्थिगण:

1. कृष्णकुमार सोनी पुत्र स्व. ताराचंद, जाति सोनी, आयु वयस्क, पेशा खेती व व्यापार, निवासी किवरली, तहसील आबूरोड़ व जिला सिरोही।
2. कंचन पत्नि स्व. ताराचंद, जाति सोनी, आयु वयस्क, पेशा खेती व व्यापार, निवासी किवरली, तहसील आबूरोड़ व जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आबूरोड़, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 बअनवान कृष्णकुमार वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2023

पैरोकार–

1. श्री नगेन्द्रकुमार मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 10.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 बअनवान कृष्णकुमार वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्टगण ने मातहत अदालत में एक वाद वास्ते खातेदारी घोषणा तथा प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188, 89, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था, जिसमें मातहत अदालत ने उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिकी जारी कर अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। चूंकि अपीलान्टगण ने मातहत अदालत के समक्ष वाद इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा ग्राम किवरली में अपीलान्टगण के पिता स्वर्गीय श्री ताराचंद पुत्र वनाजी सुनार को पुराने खसरा संख्या 15 की कुल 25 बीघा भूमि का आबंटन वर्ष 1965 66 में किया जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था. प्रिमियम राशि भी विधि अनुसार राजकोष में जरिए रसीद के जमा करवा दी गई थी। अपीलान्टगण के पिता स्वर्गीय श्री ताराचंद पुत्र वनाजी सुनार को आबंटित भूमि पर स्वर्गीय ताराचंदजी अपने पुरे जीवनकाल काबिज रहे तथा काश्त की तथा उनकी मृत्यु के बाद वारिसान उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उपयोग व उपभोग कर रहे है। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलान्टगण के पिता को आबंटित 25 बीघा भूमि का नामान्तकरण दर्ज नहीं कर 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि का ही नामान्तकरण दर्ज किया गया जब कि आवंटित भूमि पर विधि अनुसार पुर्ण रकबा में नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। राजस्व अधिकारीयों द्वारा 25 बीघा भूमि के स्थान पर 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण दर्ज किया गया उसके बाद उसमें भी बिना किसी कारण के उसमें भी कमी कर मात्र 5.00 बीघा भूमि कर दिया गया जब कि मौके पर कुल 25 बीघा भूमि पर अपीलान्टगण काबिज है तथा उपयोग व उपभोग कर रहे है। गलत व विधि विरूद्ध तरीके से आबंटित भूमि के नामान्तकरण की कार्यवाही में आराजी का रकबा कम किया गया है, जिससे वर्तमान में मात्र 5.00 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है। भूप्रबन्ध के समय पुराने खसरा सख्या 15 के नए खसरा संख्या 76 बने, नए खसरा संख्या में भी उपरोक्तानुसार पुर्ण आबंटित भूमि 25.00 बीघा राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अपीलान्ट के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं है। अपीलान्ट के पिता अनपढ व्यक्ति थें, जिससे रेकर्ड में उक्त गलत इन्द्राज के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं थीं। उक्त आधार पर वादीगण अपीलान्ट के वाद को डिक्री कर आबंटित 25 बीघा भूमि के सम्बंध में अनुतोष चाहा गया था। रेस्पोडेंट ने अपने जवाबदावा में वादीगण के वाद का कोई खण्डन नहीं किया तथा नामान्तकरण संख्या 142 के आधार पर आराजी का रकबा कम करने बाबत् कथन किया गया। मातहत अदालत ने वाद के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु आवश्यक तनकियां नहीं बनाई है तथा सम्पूर्ण तनकियां बनाए बिना ही निर्णय पारित किया गया है। मौके पर आबंटित भूमि का पुर्ण रकबा मौजुद है तथा अपीलान्टगण उक्त आराजी पर काबिज है तथा उपयोग व उपभोग कर रहे है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलान्ट व उसके गवाह की साक्ष्य का भी कोई खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है तथा न ही उनसे की गई जिरह से मुख्य परीक्षण का खण्डन होता है, फिर भी बयानों को नहीं मानकर गलत निर्णय पारित कर वाद को खारिज किया गया है। प्रतिवादीगण वादीगण के पिता को वर्ष 1965 में से 25 बीघा भूमि का आबंटन किया गया था। इस तथ्य को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त आबंटन को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 76 की भूमि के पास में खसरा संख्या 46 की बिलानाम भूमि है तथा उसके बाद खसरा संख्या 119 की भूमि है। जिससे खसरा संख्या 76 की भूमि का नदी में कटाव हो जाने आदि सभी कथन गलत है, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोंडेंट के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2023 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ग्राम किवरली तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही में वादीगण के पूर्वज ताराचंद पुत्र वना को ग्राम किवरली के पुराने खसरा संख्या 15 की आराजी में से 25 बीघा भूमि वर्ष 1965–66 में आवंटित करने, मौके पर कब्जा सुपुर्द करने, आवंटन से ही वादीगण के पिता व वादीगण का निरंतर कब्जा काश्त होने के बावजूद राजस्व कार्मिकों द्वारा विधिवत आवंटित 25 बीघा भूमि के स्थान पर नामांतरण केवल 10–17 बीघा भूमि का ही दर्ज करने शेष भूमि विधिविरूद्ध रूप से आवंटी के नाम दर्ज नहीं करने एवं बाद में पुराने खसरा संख्या 15 से बने नवीन खसरा संख्या 76 में विधिविरूद्ध रूप से केवल 5 बीघा भूमि ही वादीगण के नाम दर्ज रखने जबकि खसरा संख्या 76 की आवंटित संपूर्ण 25 बीघा भूमि में वादी के खातेदारी अधिकार होने से वादीगण द्वारा शेष 20 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार से जवाब प्राप्त कर विवाद्यक कायम किए गए तथा साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन किया गया। विवाद्यक संख्या 1 वस्तुतः विवादित आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 25 बीघा का खातेदार घोषित करने की डिक्री एवं विवाद्यक संख्या 2 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित डिक्री वादीगण के जिम्मे रखी गई एवं विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन अनुसार वादीगण द्वारा ठोस दस्तावेज अर्थात साक्ष्य से प्रमाणित नहीं करवाया है कि ग्राम किवरली के पुराने खसरा संख्या 15 की रकबा 25 बीघा भूमि वर्ष 1965–66 को वादीगण के पूर्वज ताराचंद पुत्र वना को आवंटित की गई हों, के साथ उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया तथा विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय के आधार पर विवाद्यक संख्या 2 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 9 एवं 10 उपखंड अधिकारी माउण्ट आबू द्वारा तहसीलदार आबूरोड़ को जारी आदेश दिनांक 27.08.1966 के क्रम संख्या 8 में आवंटी ताराचंद पुत्र वना सुनार को खसरा संख्या 15 में 25 बीघा भूमि बनास परियोजना कमाण्ड एरिया अंतर्गत आवंटित की गई तथा तहसीलदार आबूरोड़ द्वारा उपखंड अधिकारी आबूपर्वत को प्रेषित पत्र प्रदर्श 9 के अनुसार आवंटी ताराचंद द्वारा रसीद संख्या 10 द्वारा राशि राजकोष में जमा करवाई गई एवं पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपुर्द करवाया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 9 व 10 द्वारा यह बखूबी साबित होता है कि वादीगण के पिता को पुराने खसरा संख्या 15 में 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थीं तथा उक्त आवंटन की अनुपालना में आवंटी के नाम स्वीकृत नामांतरण जोकि सरपंच किवरली द्वारा स्वीकृत किया गया, द्वारा खसरा संख्या 15 में 5 बीघा भूमि में आवंटी ताराचंद को गैर खातेदार दर्ज किया गया। जबकि विधि की यह स्वीकृत व स्पष्ट स्थिति है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त या संशोधित नहीं कर दिया जाता या अन्यथा आदेशित नहीं कर दिया जाता नामांतरण की कार्यवाही आवंटन आदेश के अनुरूप किया जाना आज्ञापक है। जबकि हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव पाया गया, जोकि साबित है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिससे स्पष्ट हों कि वादीगण के पिता आवंटी तारांचद को ग्राम किवरली के पुराना खसरा संख्या 15 की आराजी में 25 बीघा भूमि आवंटित नहीं की गई हों या उक्त आवंटन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी निरस्त या संशोधित किया गया हों। अतः स्पष्ट है कि नामांतरण स्वीकृतकर्ता द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के विधिविरूद्ध रूप से मनमर्जीपूर्वक आवंटी की भूमि का रकबा कम कर 25 के स्थान पर 5 बीघा दर्ज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन उपरांत भूप्रबंध की कार्यवाही संपादित हुई एवं पुराने खसरा संख्या 15 से नवीन खसरान सृजित हुए एवं खसरा संख्या 15 में आवंटी की भूमि में से कुछ भाग नदी कटाव से प्रभावित हुआ। लेकिन नदी का मूल खसरे में अंकित कुल रकबे व किस्म को परिवर्तित करने का भूप्रबंध अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं होता है तथा न ही नदी या जल बहाव से किसी काश्तकार की खातेदारी आराजी मृदा अपरदन या मृदा कटाव से प्रभावित होने से ऐसे प्रभावित भाग को खातेदार की खातेदारी में से कम किये जाने का कोई कानूनी प्रावधान है तथा न ही ऐसा किया जाना भूप्रबंध अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध एवं बतौर साक्ष्य में प्रदर्श दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किए बिना एवं उक्त सारवान साक्ष्य का विवेचन किए बिना यांत्रिक रूप से विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि/सहमति योग्य नहीं हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 बअनवान कृष्णकुमार वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, आवंटन पत्र, नामांतरण, मिलान क्षेत्रफल, भूप्रबंध पूर्व व वर्तमान खसरान व रकबा का मिलान करते हुए विवाद्यकवार साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए अपना स्पष्ट व सकारण विनिश्चय के साथ वादपत्र अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि असालतन/वकालतन दिनांक 09.04.2026 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली